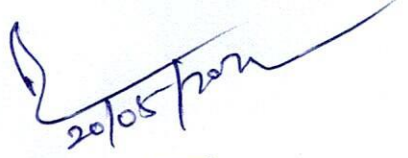


सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत नीचे लिखित तालिका के अनुसार उपलब्ध जानकारी अग्रेषित की जाती है:-

01	प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA) (वर्तमान)	डॉ० सत्यप्रकाश उपाध्याय
02	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) (वर्तमान)	श्री ब्रजभूषण सिंह
03	डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के समलोक सूचना अधिकारी - परीक्षा शाखा (Deemed APIO) - स्थापना शाखा (Deemed APIO) - वित्त एवं लेखा शाखा (Deemed APIO)	श्रीमति ए. लक्ष्मी (सहायक कुलसचिव) श्रीमति ममता त्रिपाठी (सहायक कुलसचिव) श्री अशोक सैनी (अनुभाग अधिकारी)
04	लोक सूचना कार्यालय द्वारा प्रकरणों से संबंधित जानकारी के संबंध में।	लोक सूचना कार्यालय द्वारा प्रकरणों से संबंधित त्रैमासिक जानकारी CIC नई दिल्ली तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।
05	विश्वविद्यालय के प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA) की सूची। (2015 के बाद से आज दिनांक तक)	- प्रो० आर० एन० यादव। - डॉ० निवेदिता मैत्रा। - प्रो० गिरीश मोहन दुबे। - श्री संतोष सौहगौरा - डॉ० रंजन कुमार प्रधान - डॉ० सत्यप्रकाश उपाध्याय। (वर्तमान)
06	लोक सूचना कार्यालय में पदस्थ (CPIO) की सूची। (2015 से आज दिनांक तक)	- डॉ० एम० जे० चौधरी - श्री छबील कुमार मेहरे - श्री ब्रजभूषण सिंह (वर्तमान)
07	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के तौर पर (i) लघु शास्ति या दीर्घ शास्ति की कार्यवाही लंबित है।	संख्या-04


 लोक सूचना अधिकारी
 डॉ० हरीसिंह गौर केन्द्रीय वि०वि०
 सगर (म०प्र०)

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DR. HARI SINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M. P.)
(A Central University)

No.R./Estt./2017/22

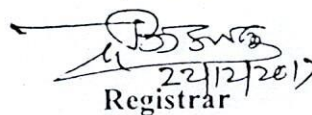
CENTRAL OFFICE
Sagar Dated : 19-12-2017
22

//Office Order//

Shri Brijbhushan Singh, Law Officer, Legal Cell is hereby assigned the duty of PIO (Public Information Officer) under RTI Act-2005, in addition to his own work vice Dr. Madhukar Choudhary, PIO, untill further orders.

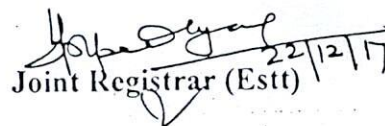
This order will come into force with immediate effect.

By Order,


22/12/2017
Registrar

Copy to : .

1. Shri, Brijbhushan Singh, Law Officer, Legal Cell.
2. Dr. Madhukar Choudhary, PIO, RTI Cell
3. Secretary to Kulpati, Dr. H.S.Gour V.V. Sagar
4. All Deans (Admn./Schools)
5. All HODs, Teaching Departments
6. All Officers
7. Finance Officer/Joint Registrar, Finance & Account
8. Coordinator, University Website Cell
9. Personal File/Guard File


22/12/17
Joint Registrar (Estt)

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 22) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है तथा 15 जून 2005 से लागू हुआ है। यह अधिनियम नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता है, ताकि वे सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुँच प्राप्त कर सकें, ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जबाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा स्थापित या सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन आएंगे। विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोकसूचना कार्यालय की स्थापना की गयी है, ताकि नागरिकों द्वारा मांगी गयी सूचनाओं का समय पर और पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जा सके।

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

वर्ष-2024-25

वर्तमान लोकसूचना अधिकारी - श्री ब्रजभूषण सिंह
प्रथम अपीलीय अधिकारी-डॉ० सत्यप्रकाश उपाध्याय

प्राप्त आवेदन एवं निराकरण की स्थिति:-(31 मार्च 2025 तक)

विवरण	संख्या
कुल प्राप्त RTI आवेदन	659
निराकृत आवेदन	647
लंबित आवेदन	12
प्रथम अपील	173
निराकृत प्रथम अपील	146

शुल्क संग्रह:-

RTI आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त राशि: रु. 6550/- मात्र।

प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम:-

- दिनांक 09.01.2025 को केन्द्रीय सरकार के कर्मयोगी भारत प्रोग्राम के तहत विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में डिजीटली रूप से सविस्तार से बताया गया।

प्रमुख गतिविधियाँ:-

- धारा 4(1)(b) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत RTI पोर्टल तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी अपडेट की जाती है।
- सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड डिजीटली संधारित किया जाता है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को विहित समय में जानकारी प्रदान कर निराकृत किया जाता है।